

राजस्थान सरकार

निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:-एफ-2( )बजट/अति.आंव./ICDS/18/ 105861-63

जयपुर,दिनांक: 11-6-18

उपनिदेशक,  
महिला एवं बाल विकास विभाग,  
बीकानेर। (for CDPD को लागू)

बाल विकास परियोजना अधिकारी,  
समेकित बाल विकास सेवाएँ,  
राजगढ़ (चुरु)/भादरा (हनुमानगढ़)

विषय:- पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों के वेतन भुगतान हेतु बजट आवंटन वर्ष 2018-19 बाबत।

संदर्भ:- उपनिदेशक (प्रशासन), मुख्यालय का यू.ओ. नोट क्रमांक 103046 दिनांक 8.6.18

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित यू.ओ. नोट के क्रम में पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों के वेतन भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आई.सी.डी.एस. सामान्य अंतर्गत निम्नानुसार अतिरिक्त आवंटन किया जाता है:-

मांग संख्या-33
2236- पोषण
02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण
197- ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
(01)- समेकित बाल विकास सेवाएँ विभाग के माध्यम से
[02]- ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायत स्तरीय संस्थापन व्यय
(शत प्रतिशत राज्य निधि)

(राशि लाखों में)

क.सं.	नाम कार्यालय	उपमद	बजट मद	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	उपनिदेशक, बीकानेर	01. संवेतन-एनटीटी	राज्य निधि	12.26
2	बाविपअ, राजगढ़-चुरु	01. संवेतन-एनटीटी	राज्य निधि	8.76
3	„ भादरा-हनुमानगढ़	01. संवेतन-एनटीटी	राज्य निधि	7.01

उक्तानुसार आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार एवं विभाग के द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

वित्तीय सलाहकार

जयपुर, दि: 11-6-18

क्रमांक:-एफ-2( )बजट/अति.आंव./ICDS/18/ 105864-65

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उपनिदेशक (प्रशासन), मुख्यालय को संदर्भित यू.ओ. नोट के क्रम में।
2. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

वरिष्ठ लेखाधिकारी